भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1292

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2023 को दिया गया

राज्य विद्युत संयंत्रों को कार्यशील पूंजी और ईंधन

1292. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कई राज्य विद्युत संयंत्र संकट में हैं और उन्हें कोयला खरीदने और विद्युत उत्पादन शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे विद्युत संयंत्रों को पावर फाइनेंस कारपोरेशन और आरईसी लिमिटेड से अल्पावधि ऋण की पेशकश की की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण कितने राज्यों में विद्युत संयंत्रों की उत्पादन क्षमता कम हो गई है और उन्हें ईंधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) क्या विद्युत संयंत्र विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से विद्युत उत्पादन कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : दिनांक 03 जून, 2022 को प्रकाशित विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार तथा संबंधित मामले) नियम, 2022 के कार्यान्वयन के पश्चात् उत्पादन कंपनियों की देय राशियों की वसूली में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। प्राप्ति पोर्टल पर दी गई सूचना के अनुसार, उत्पादन कंपनियों को राज्यों की कुल बकाया देय राशियां, जो दिनांक 03.06.2022 तक की स्थिति के अनुसार, 1,20,540 करोड़ रूपये थीं, बारह (12) बराबर मासिक किस्तों (ईएमआई) के समय से भुगतान के कारण, दिनांक 24.07.2023 तक की स्थिति के अनुसार, घटकर 61,025 करोड़ रूपये रह गई हैं। वितरण कंपनियां भी नियम के अंतर्गत विनियमनों से बचने के लिए वर्तमान देय राशियों का समय से भुगतान कर रही हैं। तथापि, कुछ राज्य जेनकोज ने अपनी देय राशियों की वसूली के लंबित रहते कोयले की खरीद के लिए पीएफसी तथा आरईसी से कार्यशील पूंजीगत सहायता की मांग की है।

(घ) : विभिन्न राज्य यूटिलिटियां ऋणों की संस्वीकृति के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) से संपर्क कर रही हैं। आरईसी ने कोयले की खरीद के लिए विभिन्न यूटिलिटियों को ऋण संबंधी सहायता प्रदान की है। इसके ब्यौरे **अनुबंध-I** पर दिए गए हैं।

साथ ही, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) की यह नीति है जिसमें विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त विवेकसम्मत मापदंडों के अनुपालन के अध्यधीन कोयला खरीदने के लिए कार्यशील पूंजी की मांग करने वाले राज्य विद्युत संयंत्रों को अल्पावधि ऋण संस्वीकृत करने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, पीएफसी ने कोयले की खरीद के लिए विभिन्न राज्य क्षेत्रीय जेनकोज को ऋण संस्वीकृत किए थे। इसके ब्यौरे **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं।

(ङ) : दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार, 180 घरेलू कोयला आधारित (डीसीबी) संयंत्रों में उपलब्ध कोयला स्टॉक 34.6 मिलियन टन (एमटी) था, जबकि दिनाकं 17.07.2023 को, यह 33.4 एमटी था जो इन संयंत्रों को 85% संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) पर औसतन 13 दिन तक चलाने के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 17.07.2023 तक की स्थिति के अनुसार, 57 राज्य क्षेत्रीय संयंत्रों में कोयले का स्टॉक 9.6 एमटी था, जो इन संयंत्रों को 85% पीएलएफ पर औसतन 10 दिन तक चलाने के लिए पर्याप्त है। अतएव, राज्य क्षेत्रीय संयंत्रों में कोयले की कोई कमी नहीं है। तथापि, संयंत्र पर कोयले का स्टॉक कोयले की खपत और प्राप्ति के बीच अंतर के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है।

सरकार ने निर्बाध विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत संयंत्रों को कोयले की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i. विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों का एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने के साथ-साथ विद्युत संयंत्रों में संकटपूर्ण कोयला स्टॉक की स्थिति को कम करने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किन्हीं आकस्मिक स्थितियों के लिए नियमित रूप से बैठक करता है।
ii. कोयला स्टॉकों की निगरानी के लिए नियमित रूप से अंतर-मंत्रालयी सचिव-स्तरीय बैठक आयोजित की जाती है।
iii. सरकार ने संशोधित कोयला भंडारण मापदंड जारी किए हैं, जिसमें विद्युत संयंत्रों को किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए हर समय पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने हेतु अधिदेशित किया गया है।
iv. विद्युत यूटिलिटियां अपनी आवश्यकता के साथ-साथ लागत-अर्थव्यवस्था पर विचार करते हुए कोयले का आयात करती रही हैं। विद्युत मंत्रालय ने केन्द्रीय/राज्य जेनकोज तथा आईपीपीज को दिनांक 09.01.2023 के आदेश द्वारा पारदर्शी प्रतिस्पर्धी खरीद के माध्यम से भार द्वारा 06% की दर से मिश्रण हेतु कोयला आयात करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया है ताकि उनके विद्युत संयंत्रों में सितम्बर, 2023 तक सुचारु प्रचालन के लिए पर्याप्त स्टॉक बना रहे।
v. रेलवे के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान, लगभग 8800 कोयला ढोने वाले वैगनों (लगभग 150 रेक) का नेट इंडक्शन किया गया था। वर्ष 2023-24 के अनुसार, कोयला ढोने वाले रेक्स का संभावित नेट इंडक्शन लगभग 200 रेक्स का होगा, जिससे कोयले की लोडिंग के लिए अतिरिक्त 50 रेक/दिन की व्यवस्था हो सकेगी। वैगन इंडक्शन के कारण वार्षिक कोयला परिवहन क्षमता में लगभग 70 मिलियन

टन (एमटी) की वृद्धि संभावित है। इसी प्रकार, वर्ष 2024-25 में कोयला ढोने वाले रेक्स का नेट इंडक्शन लगभग 250 रेक्स का होने की संभावना है, जिससे अतिरिक्त 60 रेक्स/दिन की व्यवस्था हो सकेगी। वैगन इंडक्शन के कारण वार्षिक कोयला परिवहन क्षमता में लगक्षग 85 एमटी की वृद्धि होने की संभावना है।

vi. रेलवे ने कोयला निकासी के संवर्धन के लिए 40 परियोजनाएं अभिचिन्हित की हैं। इन 40 परियोजनाओं में से, 17 परियोजनाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं और 23 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इन 23 परियोजनाओं में से वर्ष 2026-27 तक 18 परियोजनाओं के पूरे होने की संभावना है।

vii. रेलवे के अनुसार, वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 के दौरान कोयला परिवहन क्षमता में लगभग 185 एमटी वृद्धि होने की संभावना है।

viii. पर्याप्त कोयला सुनिश्चित करने के लिए, कैप्टिव कोयला खदान उत्पादन का लक्ष्य पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के 102.69 एमटी की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 141 मिलियन टन का रखा गया है।

(च) : वर्ष 2022-23 के दौरान 25 मेगावाट (एमडब्ल्यू) और उससे अधिक क्षमता के कोयला/लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्रों का संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) 64.15% था। वर्ष 2023-24 में, विद्युत की मांग बढ़ी है और विद्युत संयंत्र उन्हें दिए गए शैड्यूल के अनुसार विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 (जून, 2023 तक) में कोयला/लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए पीएलएफ लगभग 70.02% है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1292 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

कोयले की खरीद के लिए आरईसी द्वारा संस्वीकृत ऋण

क्र.सं.	**राज्य**	**यूटिलिटी**	**संस्वीकृत ऋण (करोड़ रूपये)**	**वितरित ऋण (करोड़ रूपये)**
1.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (एमएसपीजीसीएल)	1800	1800
2.	राजस्थान	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल)	1500	1000
3.	पंजाब	पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल)	400	400
4.	हरियाणा	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एचपीजीसीएल)	1000	810
5.	कर्नाटक	कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	2500	2000
6.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	3612.5	812.5
7.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (डीपीएल)	300	300
कुल			**11112.5**	**7122.5**

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1292 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

कोयले की खरीद के लिए पीएफसी द्वारा संस्वीकृत ऋण

क्र.सं.	**राज्य**	**यूटिलिटी**	**संस्वीकृत ऋण (करोड़ रूपये)**	**वितरित ऋण (करोड़ रूपये)**
1.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (एमएसपीजीसीएल)	2749	2749
2.	राजस्थान	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल)	500	500
3.	पंजाब	पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल)	400	400
4.	हरियाणा	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एचपीजीसीएल)	1000	500
5.	कर्नाटक	कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	1500	1500
6.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	563	200
कुल			**6712**	**5849**

****